

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :- 54/2018

(Rcms no: 2018/00133)

उनवानी प्रकरण :-

1. सिरमौहर पुत्र कल्ला जाति मीणा निवासी ग्राम चन्द्रावली तहसील सरमथुरा धौलपुर—अपीलान्त।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरमथुरा जि० धौलपुर-रेस्पोडेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.8.2018
तहसीलदार सरमथुरा प्र.सं.10/2018
उनवानी राज० सरकार बनाम सिरमौहर
अंतर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधि० 1956

उपस्थिति :-

अपीलान्त की ओर से :- श्री अशोक दिवाकर अभिभाषक।

रेस्पोडेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।


निर्णय दिनांक :-27.11.2018

निर्णय

अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार सरमथुरा के निर्णय दिनांक 28.8.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि आराजी खसरा नम्बर 480 रकवा 0.42 हैक्टर गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम चन्द्रावली में से 0.03 हैक्टर रकवा पर वर्ष 2018 में बाजरा की फसल बोकर अतिक्रमण किया है एवं वर्ष 2017 में सरसों की फसल बोकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुये तीन माह के सिविल कारावास एवं 12/-रुपये की शास्ति से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि विवादित भूमि सरकारी भूमि है जो कि पशु



(नन्मल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर



चरने के काम आती है, जिसमें वर्षा ऋतु में उक्त नाले में सदैव पानी निकलता रहता है। जिसमें बाजरा की फसल बोकर अतिक्रमण किया जाना सम्भव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जॉच के मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए आदेश पारित किया है जो विधि से सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2018 बाजरा की फसल बोकर अतिक्रमण करने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक अपीलान्ट की उपस्थिति व जबावदेही हेतु नियत थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने व अपनी जबावदेही का सम्यक अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अपीलान्ट के विरुद्ध अतिक्रमण के बावत कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट एक बुजुर्ग व्यक्ति है, न्यायालय के समक्ष ऐसा शपथ पत्र पेश कर दिया है कि उसने कभी भी सिवायचक/नाला की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया और ना ही भविष्य में करेगा। जानकारी दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.8.2018 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 28.8.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए बिना सुने 12/- जुर्माना व 3 माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया है, ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया है। अपीलान्ट को जबाव व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर प्रदान किया जाता तो



(नन्नुमल पहालशिया)
जिला कलक्टर
घाँसपुर



अपीलान्ट अपने समर्थन में जबाब साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करता। जैसे ही अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेंगे इस बात का शपथ पत्र दे दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.8.2018 निरस्त किया जावे।

रैस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान तथा पटवारी की दैनिक डायरी से होती है। अपीलान्ट ने वर्ष 2017 में भी अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाब साक्ष्य व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया है तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित कर दिया है। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु अपीलान्ट ने न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। यदि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं था तो उनके द्वारा जुर्माना राशि की अदायगी क्यों की गई तथा कब्जा छोड़ने सम्बन्धी शपथ पत्र क्यों प्रस्तुत किया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.8.2018 यथावत रखा जावे।


अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड़ने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार सरमथुरा से कराया गया। तहसीलदार सरमथुरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.11.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि विवादित आराजी से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान तथा पटवारी की दैनिक डायरी से होती है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस बिन्दु के सम्बन्ध हमारा मत है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.8.2018 को उपस्थित हुआ तथा निर्णय दिनांक 28.8.2018 को सुनाया गया उस वक्त भी अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित था। अपीलान्ट को



गिन्तूमल पहाड़िया
जिला कलक्टर
घाँसपुर



जबाबदेही एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13.8.2018 से 28.8.2018 तक समय मिला अपीलान्त चाहता तो उक्त अवधि में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता था। अपीलान्त को जबाब, साक्ष्य एवं जिरह करने हेतु समय की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्त ने जबाब, साक्ष्य एवं जिरह हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

3. अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार सरमथुरा से कराया गया। तहसीलदार सरमथुरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.11.2018 द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्त द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार सरमथुरा पुनः मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्त द्वारा कब्जा छोड़ दिया है वर्तमान में कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्त शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार सरमथुरा अपीलान्त के विरुद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(~~अनन्द महाजिया~~)
जिला कलेक्टर,
धौलपुर